

# हरियाणा में दलित महिलाएँ: समाजशास्त्रीय विश्लेषण

## सारांश

“किसी समुदाय की तरक्की की माप का मेरा पैमाना उस समुदाय की स्त्रियों में हुई प्रगति का स्तर है।”

डा० बी० आर० अम्बेडकर

पत्थर तोड़ती, कूड़ा बीनती, शराबी पति से तंग, सुबह शाम दूसरों के घरों में काम करती निर्बल, निर्धन तो मध्यम वर्गीय घर और घर से बाहर अपने अस्तित्व को बनाए रखने का संघर्ष करती दलित स्त्री। देश के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सवर्ण स्त्रियाँ शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में दलित से काफी आगे हैं। दलित स्त्री के स्वयं के महिला संगठन व क्लब आदि ना के बराबर हैं जहाँ प्रतिभाओं को दिखाने का अवसर मिलता है, सृजनात्मकता, आनंद, सुरक्षा व संघर्ष के मुद्दे मुख्य होते हैं। दलित स्त्री आज भी संगठित नहीं है इसी कारण उनके प्रति हिंसा और अपराध का ग्राफ पूरे देश में कुछ राज्यों में अधिक बढ़ रहा है। तेजी से अधिक प्रगति करते हरियाणा प्रदेश में वर्ष 2012 में महज तीस दिनों के भीतर दलित महिलाओं के विरुद्ध बलात्कार के पन्द्रह मामलें सामने आए। यह राज्य महिलाओं, दलितों के प्रति हो रहे अपराधों, राजनेताओं के भ्रष्टाचार तथा अवैध कन्या भ्रूण हत्या के निंदनीय पैमानों पर भी बहुत ऊपर नजर आता है। इस राज्य में खाप पंचायतें युवतियों के लिए फरमान जारी करती हैं। यह चिंताजनक व भयावह तस्वीर है जो दलितों के प्रति वैमनस्य का प्रदर्शन करती है।

भारतीय समाज को बंद समाज कहा जाता है जो कि रूढ़ियों, कुरीतियों, परम्पराओं में जकड़ा है वह लकीर का फकीर है जब इसमें स्वतन्त्रता समानता के विचारों के लिये खिड़की खुलती है तो तीव्र प्रतिक्रिया होती है। दलित, वंचित वर्ग के लोग व स्त्री जब विकास के समान अवसरों की बात करते हैं, सत्ता व धनबल तथा संस्कृतिकरण, ज्ञान, कौशल द्वारा जब निचले पायदान से “ऊपर की ओर आगे बढ़ते हैं तो समाज के पुरातनवादी चिंतकों को चिंता होने लगती है कि भारतीय समाज की जिस प्राचीन संस्कृति जिसे वे आज तक विरासत के रूप में संजोते आए हैं कहीं छिन्न-भिन्न न हो जाए। दलितों व दलित स्त्रियों पर हमले इसी सोच का नतीजा है। भारत में स्त्रियाँ कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। शहरों व कस्बों में चरमराती विद्युत व्यवस्था, गाली कल्चर, स्त्री दमनकारी मनोवृत्ति, अयोग्य, भ्रष्ट चरित्रहीन पुलिस व्यवस्था तथा त्वरित गति से कानूनी कार्यवाही न होना उनकी असुरक्षा के कारण हैं।

**मुख्य शब्द** : दलित स्त्री, खाप पंचायतें, मनोवृत्ति, विरासत।

## प्रस्तावना

### हरियाणा में दलित महिलाएँ

प्रस्तुत शोधपत्र में हरियाणा की दलित महिलाओं की सामाजिक स्थिति को जानने का प्रयास किया गया है। हरियाणा में जातिवाद, राजनीति व अपराध का अद्भुत संगम दिखायी देता है यद्यपि औद्योगिक विकास, उद्यमिता के क्षेत्र में हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में आता है किन्तु वहा सामाजिक व सांस्कृतिक ताना-बाना आज भी सामंतवादी व्यवस्था का पोषक है। दलितों व स्त्रियों क प्रति हिंसा इसी तथ्य का द्योतक है।

### अध्ययन के उद्देश्य

1. हरियाणा में दलित स्त्रियों की स्थिति ज्ञात करना।
2. दलित स्त्री की सामाजिक स्थिति का विश्लेषण करना।
3. स्त्री की निम्न स्थिति के कारणों का पता लगाना।
4. स्त्री के प्रति सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण।

### परिकल्पना

1. दलित स्त्री की निम्न स्थिति धार्मिक आधार पर है।



### शौफाली सुमन

कार्यवाहक प्राचार्य/ऐसोसियेट प्रोफेसर,  
समाजशास्त्र विभाग,  
महाराणा प्रताप राजकीय  
महाविद्यालय,  
सिकन्दराराऊ (हाथरस)

2. स्त्री की निम्न स्थिति का सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था से सह सम्बन्ध है।
3. दलित स्त्री के प्रति हिंसा का मानसिक क्रूरतास व सामतवादी सोच से सह सम्बन्ध है।
4. दलित युवतियों के प्रति हिंसा का राजनीति व अपराध से सह सम्बन्ध है।

#### अध्ययन के स्रोत

प्रस्तुत शोध पत्र के अनुसंधान हेतु द्वितीयक स्रोत जैसे समाचार पत्र, शोध ग्रन्थ, संदर्भ ग्रन्थ, आलेखों पर आधारित है।

#### अध्ययन पद्धति

शोध पत्र हेतु सविचार, उद्देश्यपूर्ण निदर्शन प्रणाली का उपयोग किया गया है।

#### अनुसंधान से प्राप्त परिणाम

“स्त्री सर्वत्र आदर्श, मूल्यों, लोकाचारों, रूढ़ियों, परम्पराओं की बेड़ियों में जकड़ी हुई है।” भारतीय समाज पितृसत्तात्मक समाज है जो कि लैंगिक असमानता को जन्म देती है, चारों ओर पुरुषों का वर्चस्व व्याप्त है। महिलाएँ जब उस प्रभुत्व को चुनौती देती है तो उन्हें हिंसा, उत्पीड़न, मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। सामाजिक, सांस्कृतिक प्रतिमान पुरुषों की स्त्रियों के विषय में संकीर्ण मानसिकता तथा पूर्व धारणाओं को बल देते हैं, जिसमें स्त्री को कोमल, भावनात्मक, शीलवान, आदर्शवादी, संस्कारों, लोकाचारों का निर्वहन करने वाली छवि के रूप में देखा जाता है जो कि पुरुषों के हित में है। यद्यपि स्त्री और पुरुष रथ के दो पहिए के समान हैं, जीवन व सृष्टि के सृजन में दोनों के पूर्ण योगदान की आवश्यकता है। अन्यथा समाज में असन्तुलन उत्पन्न होता है। समाज की प्रगति जहाँ स्त्री के परिवार के प्रति समर्पण तो उद्यमी गैलता द्वारा आर्थिक विकास में सहायक है, समाज के नैतिक उत्थान के लिए स्त्री और पुरुष दोनों में ही प्रेम, सहयोग, दया, परोपकार, अहिंसा तथा सहिष्णुता, समानता, स्वतन्त्रता की आवश्यकता होती है। परन्तु फिर भी हमारा समाज स्त्री के प्रति दोहरे मापदण्ड अपनाये हुए है।

स्त्री जन आर्थिक रूप से सहायता होने के लिए घर से बाहर जाकर सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक कार्यों में बढ़कर सहभागिता करती है और नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करती है तो समाज के परम्परागत ढाँचों में खलबली मचने लगती है। वह यह प्रचार-प्रसार करने लगता है कि स्त्री भारतीय संस्कृति के विरुद्ध जा रही है व स्त्रीयुक्त सीमाओं से परे पुरुषों के कार्यक्षेत्र में पैठ बनायेगी व महत्वपूर्ण पदों को प्राप्त करेगी तो उनका क्या होगा ? आज तक पुरुष स्त्री पर राज करता आया है, अब क्या स्त्री पुरुष व समाज को अपनी अधीन करेगी ? यही कारण है कि परम्परावादी ढाँचे के वाहक स्त्री के विरुद्ध वक्तव्य जारी करते हैं, सवर्ण व उससे अधिक दलित स्त्री जो सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक दृष्टि से अधिक कमजोर होती है, उनका आसानी से और ज्यादा शिकार होती है।

भारत में संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता, समानता का उपयोग जब वह करती है तो कहा जाता है कि उसे पश्चिम की हवा लग रही है। कुछ प्राचीन ग्रन्थों में यह बताया गया है कि “स्त्री नरक का द्वार है” और इस तथ्य में विश्वास करते हुए स्त्री विरोधी विचार व घृणा का

संचार किया गया। हमारी संस्कृति इस मनोवैज्ञानिक धारणा का समर्थन करते हुए स्त्री पुरुष समीपता पर निषेध लगाती है और अधिकारों में: इन निषेधा का उल्लंघन होने पर उनके विरुद्ध हिंसा, छेड़छाड़ व बलात्कार की घटनाएँ होती हैं।

संयुक्त राष्ट्र की वि०व० सामाजिक स्थिति रिपोर्ट 2010 के अनुसार भारत में दलितों की स्थिति बहुत खराब है। इसमें तथ्य है कि दलित महिलाएँ अपने परिवार में हिंसा का शिकार होती हैं। उनका यौन शोषण और उत्पीड़न होता है, अपहरण व बलात्कार होते हैं। वे वित्तीयता के लिए मजबूर हैं। कन्याएं भ्रूण हत्या की शिकार होती हैं। दलित महिलाएँ अपने समुदाय के भीतर अधिकार नहीं पाती।

डॉ० अम्बेडकर ने कहा था—“जाति से आर्थिक क्षमता नहीं आती। जातियाँ एक संघ भी नहीं बनाती। जाति ने हिन्दू समाज को पूरी तरह से असंगठित, अनैतिक अवस्था में ला खड़ा किया है।”

स्वतन्त्रता के बाद देश में दलित राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष दलित व कई कैबिनेट मंत्री सांसद, रक्षामंत्री, विधानसभा सदस्य, नौकरशाह व राजदूत दलित हुए हैं परन्तु गृह मंत्री पी० चिदम्बरम ने लोकसभा में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अनुसार एक साल में दलितों पर हमलों के 13000 से अधिक मामलों दर्ज होते हैं। वास्तविक आंकड़े इससे भी अधिक हो सकते हैं।

सुधा परई के अनुसार स्वाधीनता के बाद वंचितों की स्थिति में काफी बदलाव आया है, बावजूद इसके उनके हार्दिक पर रहने और बहिष्कार की स्थिति बनी हुई है, जो एक सहायक लोकतंत्र के लिए बड़ी चुनौती है।

सन् 2012 में हरियाणा राज्य में दलित महिलाओं के विरुद्ध बलात्कार के एक के बाद एक घटनाएँ सामने आईं, जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। हरियाणा में चुन-चुनकर दलित बालिकाओं के साथ ही ये शर्मनाक हादसे हुए ? आखिर दलित लड़कियों को ही निहाना क्यों बनाया गया है? इसके जबाब ढूँढने की कोशिश करनी होगी।

श्यामराज सिंह बैचन ने कहा है कि— यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दलित गृह मंत्री सुशील कुमार शर्मा के कार्यभार संभालने के बाद दलित उत्पीड़न की घटनाओं में तेजी आई। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने जिस दिन अपनी इच्छा जताई कि संसद में और महिलाएँ चुनकर आएँ, उसके अगले ही दिन हिसार में बलात्कार पीड़ित लड़कियों के अभिभावकों ने तय किया कि वे अपनी बेटियों को घर से बाहर स्कूल नहीं भेजेंगे। इन घटनाओं पर दृष्टिपात करने से यही निष्कर्ष निकलता है कि यह जातिगत द्वेष है, समाज के जातिगत ढाँचे में बदलाव के प्रति गुस्सा ज्यादा दिखाई देता है। निचले तबके के कुछ व्यक्ति जब उच्च पदों पर आसीन हुए तो उन्हें मनोवैज्ञानिक तरीके से दबाव में रखने के लिए उनके समुदाय के निम्न लोगों का दमन शोषण आरम्भ कर दिया।

देश में दलितों के बढ़ते कदमों को खदेड़ने के प्रयास और उन्हें दमित व हताश करने के इरादों से उनकी स्त्रियों को निहाना बनाया जाता है। यह हिंसा कोई नवीन नहीं है। प्राचीन काल से चली आ रही है। शत्रु को सबसे अधिक अपमानित करने, उसका हौंसला

तोड़ने और उसे सबक सिखाने का सबसे कारगर तरीका यही समझा जाता है कि शत्रु की स्त्रियों का नग्न जुलूस निकाला जाए या उनसे सामूहिक बलात्कार किया जाए। यह पंजाब मानवीय सभ्यता पर कलंक है। इस दिना में स्वस्थ सांस्कृतिक पर्यावरण के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है।

हरियाणा के हिसार में एक दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसकी फिल्म बनाई गई। लड़की का पिता यह सहन न कर सका और उसने अपनी जान दे दी, पर फिर भी अपराधी पकड़े नहीं गए। इसी तरह तीन वही दरिदों ने स्त्री को फिर मार किया और उसका एम0 एम0 एस0 भी बनाया और पुलिस ने कोई भी त्वरित कार्यवाही नहीं की बल्कि भ्रम फैलाने की कोशिश की। इसी तरह की कई अन्य घटनायें भी दलित स्त्रियों के साथ घटी और इससे हरियाणा व देश भर के नागरिकों में कोई उबाल नहीं आया।

यह घटनायें दलितों को सबक सिखाने की ओर ही इंगारा करती हैं जैसे कि यही निचले तबकों की नियति हो? इसमें बदलाव कब आयेगा? जैसे प्राचीन काल की तरह इस लोकतान्त्रिक भारत में यह सामान्य बात हो। हरियाणा के गोहाना, मिर्चपुर, भगाना, हिसार और करनाल में ये जघन्य अपराध हुए और पुलिस व्यवस्था उदासीन बनी बैठी रही, क्या करें यह तो सदियों पुराना दस्तूर है।

पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाएं एवं संस्थाएं उन मूल्य व्यवस्थाओं एवं सांस्कृतिक नियमों द्वारा सुदृढ़ होती हैं जो स्त्रियों की हीन भावना की धारणा को प्रचारित करती हैं। प्रत्येक संस्कृति में अनेक पथाओं के ऐसे उदाहरण विद्यमान हैं जो स्त्रियों को दिए जाने वाले निम्न मूल्य व स्थिति को परिलक्षित करते हैं। पितृसत्तात्मकता स्त्रियों को अनेक प्रकार से शक्तिहीन बना देती है। इनमें स्त्रियों के पुरुषों की तुलना में निम्न होने, उन्हें साधनों तक पहुंचने से रोकने तथा निर्णय लेने वाले पदों में सहभागिता को सीमित करने जैसी परिस्थितियाँ प्रमुख हैं। नियंत्रण के यह स्वरूप स्त्रियों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं से दूर रखने में सहायता प्रदान करते हैं।

भारत में बंद समाज पाया जाता है जो कि रुढ़ियों, कुरीतियों में जकड़ा है लकीर का फकीर है, जब इसमें स्वतंत्रता, समानता के विचारों के लिए खिड़की खुलती है तो तीव्र प्रतिक्रिया होती है। दलित, वंचित आदि लोग जब विकास के समान अवसरों की बात करते हैं, सत्ता व धन-बल व संस्कृतिकरण, ज्ञान, कौशल द्वारा जब निचले पायदान से "ऊपर की ओर" आगे बढ़ते हैं तो समाज के पुरातनवादी चिंतकों को चिंता होने लगती है कि भारतीय समाज की प्राचीन संस्कृति जिसे वे आज तक विरासत के रूप में संजोते आए हैं कहीं छिन्न-भिन्न न हो जाए। दलितों व दलित स्त्रियों पर हमले इसी सोच का नतीजा है। वरिष्ठ इतिहासकार रामचन्द्र गुहा बताते हैं कि - भारत में स्त्रियाँ कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। शहरों व कस्बों में चरमाती विद्युत व्यवस्था, अयोग्य, भ्रष्ट, चरित्रहीन पुलिस व्यवस्था तथा त्वरित गति से कानूनी कार्यवाही न होना इनकी असुरक्षा के कारण हैं।

स्तम्भकार राहुल जैकब ने हाल ही में लिखा है कि चीनी महिलाएँ भारतीय औरतों की तुलना में अधिक

स्वतंत्र जीवन यापन करती हैं और सड़क व कार्यस्थल में भी ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं।

आखिर कब तक स्त्रियाँ चाहे व दलित हो अथवा अन्य वर्ग की कब तक पुरुषों के इस दूषित सांस्कृतिक प्रतिमानों को बदलेंगी? स्वतन्त्रता के बाद से भारत में व्यापक बदलाव आया है किन्तु दलितों के राजनैतिक जागरूकता व सत्तारूढ़ होने से उसके समानान्तर दमन का चक्र भी आरम्भ हो जाता है जो प्राचीन जातिगत नियमों, जातीय सामाजिक ढांचे में प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत में वास्तविक लोकतंत्र अभी आना बाकी है यह शोषण और दमन का चक्र स्त्री हो या दलित कार्ल मार्क्स के वर्गहीन समाज की दिवा स्वप्न के साकार होने पर ही समाप्त होगा, जहाँ स्त्री पुरुष को एकसमान मानव समझा जायेगा। हिंसा का समाज में कोई स्थान न होगा। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्त्री-पुरुष समान रूप से भागीदारी करेंगे, मानवता का धर्म सर्वत्र होगा।

### अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्ष

हरियाणा में दलित स्त्री की सामाजिक, सांस्कृतिक व निम्न स्थिति का विश्लेषण करने पर अनेक तथ्य उभर कर आते हैं। दलित महिलाओं के प्रति हिंसा व बलात्कार की घटनायें हमारे सामाजिक परिवेश में मौजूद सामंतवादी, जातिवादी सोच के कारण होती हैं। दलित आज समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं ऐसे में जीवन में आगे बढ़ती कामयाब स्त्री के अस्तित्व को चुनौती दी जाती है। यह दलित नेतृत्व को भी चुनौती है। जब दलित समाज के लोग उच्च पदों पर आसिन होते हैं तो और ज्यादा उनके समुदाय की निम्न व मध्यम युवतियों को शिकार बनाया जाता है।

स्त्री की निम्न स्थिति धार्मिक आधार पर औचित्यपूर्ण स्वीकार की गई है जैसे कि धर्म ग्रन्थों (सुन्दरकाण्ड) में लिखा है- ढोल गवौर शूद्र पशु नारी, यह सब है ताड़न के अधिकारी। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री और शूद्र को समान बताया गया है। गीता के अध्याय नौ के बत्तीसवें श्लोक में जन्म से ही स्त्रियों, वैश्यों और शूद्रों की योनियों को पाप योनियों की संज्ञा दी गई है। इन धार्मिक ग्रंथों में स्त्री के प्रति जो बातें लिखी हैं उनका निवहन परम्परा के रूप में हिंदू समाज करता चला आ रहा है। यह उसके अवचेतन मस्तिष्क में रहता है।

हरियाणा में जातिवाद, सामंतवादी नजरिया आज भी कायम है। वहाँ युवा पीढ़ी दिशाहीन हो रही है जो युवतियों को स्वतन्त्रता का उपयोग करते देख उसे अपना शिकार बना लेती है। हमारे सांस्कृतिक मूल्य भी पुरुष पर अंकुश नहीं लगाते, पुत्र के समाजीकरण में माता-पिता निषेधों, प्रतिबन्धों पर ध्यान नहीं देते, अधिकांशतः मर्यादित व्यवहार व प्रतिबन्धों का पालन करने की अपेक्षा स्त्री से की जाती है ऐसा क्यों है? समाज के आदर्श, मूल्य, संस्कार, प्रतिबन्ध स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक समान होने चाहिए। हरियाणा में दलित महिलाओं के बढ़ते अपराध ग्राफ राजनीति व अपराध में सह सम्बन्ध को दर्शाता है।

स्त्री के सम्मान व प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए हमें धार्मिक ग्रन्थों में मौजूद उन श्लोकों पर प्रतिबन्ध लगाना होगा जो स्त्री की निम्न स्थिति को दर्शाते हैं। पुत्र व पुत्री के प्रति दोहरे मानदण्डों को छोड़ना होगा। समाज

के सांस्कृतिक सामाजिक ताने-बाने में मौजूद संकीर्णवादी मनोवृत्तियों पर लगाम कसना होगा जो स्त्री को आजादी का उपयोग करते व स्वतन्त्र निर्बाध गति से जीवन जीते नहीं देख सकते, क्या स्त्री अपने तरीके से नहीं जी सकती? उसकी राह में पुरुष रोड़ा बनकर क्यों खड़ा हो जाता है?

### सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

#### समाचार पत्र

1. मृणाल पांडे : बलात्कार निरोध, अर्फ समर्थ को नहीं दोष रविवार 14 अक्टूबर 2012
2. अनुराग अन्वेषी : जड़ता की यह स्थिति टूटे तो कैसे – अमर उजाला
3. श्यौराज सिंह बैचन : भय से बड़ी कोई हिंसा नहीं होती – अमर उजाला
4. सम्पादकीय: संवेदनहीन और शर्मनाक— शुक्रवार 28 सितम्बर, अमर उजाला
5. रामचन्द्र गुहा : नि"ाने पर महिलाएँ – 04 जनवरी 2015 अमर उजाला
6. हृदयनारायण दीक्षित : दलितों की बदलहाल स्थिति – 11 फरवरी 2010 दैनिक जागरण
7. सुरेन्द्र कुमार : छूआछूत मुक्त भारत क्यों नहीं – 30 दिसम्बर अमर उजाला
8. रंजना कुमारी : बराबरी की अधूरी बात—फोकस: 24 फरवरी 2014 अमर उजाला

9. दीपांकर गुप्ता : हर पार्टी के माथे पर कलंक का टीका – फोकस: 24 फरवरी 2014 अमर उजाला
10. वृन्दा करारत : यहाँ औरतों की भला क्या बिसात – फोकस: 24 फरवरी 2014 अमर उजाला

#### पुस्तकें

11. गोपा जो"ी : भारत में स्त्री असमानता: एक विम"ी हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदे"ालय, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली – 110007
  12. जिनी लोकनीता, निवेदिता मेनन, साधना आर्य (सम्पादक): नारीवादी राजनीति : संघर्ष एवं मुद्दे हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदे"ालय, दिल्ली वि"विद्यालय, दिल्ली
  13. Geetha : Gender, Stree, 16 South on Annexure. Calcutta
  14. सीमाने द बोउवार : स्त्री-उपेक्षिता अनुवाद प्रभा खेतान हिन्दी पॉकेट बुक्स
  15. गेल ओमविथ : दलित और प्रजातान्त्रिक क्रान्ति अनुवादक नरे"ी भार्गव, रावत पब्लिके"ान जयपुर ।
  16. धनन्जय कीर : डा0 अम्बेडकर : लाइफ एण्ड मि"ान
  17. आर0 सी0 मजूमदार : हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट
- #### शोध पत्रिकायें
18. सुधा पर्ई : वंचित वर्ग का बहिष्कार और हा"ीये की स्थिति योजना अगस्त 2013